संख्या-48/2020/1214/71-2-20-164/2014

प्रेषक,

आलोक कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ

2- निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 17 अगस्त, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों के उपचार हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/31, दिनांक 23-04-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों के उपचार हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 1110.00 लाख (रूपया ग्यारह करोड़ दस लाख मात्र) (39-औषधि तथा रसायन में रू0 1100.00 लाख तथा 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में रू0 10.00 लाख) को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किए जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
2) नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे एवं किसी एक वित्तीय वर्ष की लम्बित धनराशि को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।
3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य मद में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता होगी।
4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केन्द्रीयकृत पद्धति के आधार पर नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं अन्य संस्थाओं को आवश्यकतानुसार सामग्री/औषधि एवं रसायन का वितरण किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5) स्टेट नोडल अधिकारी, हीमोफीलिया, एस0जी0पी0जी0आई0/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा लाभार्थियों की सूची यथासमय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

3- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-031-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 105-एलोपैथी, 03-शिक्षा-0319-हीमोफीलिया रोग की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा-39-औषधि तथा रसायन एवं 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति'' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या-48/2020/1214(1)/71-2-20-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
3) कोषाधिकारी, लखनऊ।
4) वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
5) डा0 सोनिया नित्यानन्द, विभागाध्यक्ष, हिमैटोलॉजी विभाग, एस0जी0पी0जी0आई0/नोडल अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई लखनऊ।
6) वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3
7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in